

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक/प.6(ट)(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु./2016-20/9 092-282 दिनांक: 9-8-17

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त।

विषय:- निकायों को 1ए4वें वित्त आयोग के तहत (वित्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक) निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु सम्भागवार जरिये वर्कशॉप निकायो को प्रशिक्षण हेतु।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 7998-8203 दिनांक 02.08.2017

नगरीय निकायों द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु सचिव महोदय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने DO No. N-11025/63/2015-LSG दिनांक 27.4.2017 एवं 14.07.2017 द्वारा सभी निकायों को निष्पादन अनुदान प्राप्ति (वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20) हेतु पात्रता मापदण्ड एवं आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण किया है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश प्रासंगिक पत्र के साथ जरिये ईमेल निकायो को प्रेषित किया जा चुका है।

समस्त निकायो को उपरोक्त स्कीम की जानकारी वर्धन हेतु मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय द्वारा सम्भागवार वर्कशॉप रखे जाने का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम का सम्भाग	दिनांक	समय	स्थान
1	जोधपुर	17.08.2017	3:00 PM	सभागार, नगर निगम, जोधपुर
2	अजमेर	18.08.2017	10:30 AM	सभागार, नगर निगम, अजमेर
3	जयपुर	21.08.2017	11:30 AM	सभागार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
4	भरतपुर			

अतः समस्त निकायो के आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्कशॉप में लेखाशाखा के कर्मचारी को इस हेतु पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित सूचनाओं सहित उपरोक्त वर्कशॉप में अपने सम्भागवार दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक/प.6(ट)(320)लेखा/लेखा/14एफसी/निष्पादन अनु./2016-20/9 283-89 दिनांक: 9-8-17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी सहित अधीनस्थ नगरी निकाय के लेखाकर्मियों को उपरोक्त प्रशिक्षण में हिस्सा लेने हेतु सुनिश्चित करावें।
02. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
03. आयुक्त नगर निगम, जोधपुर एवं अजमेर को निगम का सभागार उक्त दिवस को उपलब्ध कराने, PPT हेतु प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं प्रतिभागियों के जलपान की व्यवस्था हेतु।
04. श्री कमल दीप शर्मा, राजस्व अधिकारी एवं श्री मदन मोहन गुप्ता सहायक लेखाधिकारी को कार्याशाला में मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय के सहयोग हेतु।
05. कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय को निदेशालय में उपरोक्त वर्कशॉप वाली दिनांक को सभागार में आवश्यक व्यवस्था हेतु।
06. समन्वयक, सीएमएआर को दिनांक 21.08.2017 को प्रतिभागियों के जलपान की व्यवस्था हेतु।
07. प्रभारी ई-गवर्नेंस, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य लेखाधिकारी